बिहार सरकार,
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक–प्र6–ज0वि0प्र0–16/05– 3757 /आ0वा0, पटना–15, दिनांक– 30.11.06

प्रेषक

सुरेश कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः– अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध मे ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 3220 दिनांक 03.12.05 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है उक्त पत्र द्वारा जिला स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त सम्बन्धित अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता के आश्रित को जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निदेश निर्गत किया गया है ।

इस संदर्भ में कतिपय जिलों से सरकार को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई है कि जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु निर्धारित आबादी– ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 एवं शहरी क्षेत्रों में 1350 से अधिक दुकान रहने के कारण रिक्ति के अभाव में अनुकम्पा के आधार पर मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता के आश्रित को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई तथा सरकार से निदेश की अपेक्षा की गई है ।

इस प्रकार के मामलों पर सम्यक् विचारोपरान्त मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जनसंख्या की निर्धारित सीमा को शिथिल करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

अनुरोध है कि सरकार के उक्त निर्णय से अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत् कराते हुए तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
29.11.06
सरकार के संयुक्त सचिव ।